

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/507

दिनांक:- 01-05-2025

कार्यालय आदेश

सुश्री यशोदा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, चूरु को कोषाधिकारी, चूरु के पत्र क्रमांक 264 दिनांक 11.03.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 30.01.2025 से 31.01.2025 तक कुल 02 दिवस

उक्त 02 दिवस का असाधारण(अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री यशोदा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/507

दिनांक:- 01-05-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, चूरु।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री यशोदा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, चूरु।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



(समीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)